न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 9/2018

1. सुबराती, आयु 75 साल
2. अलादीन खां, आयु 78 वर्ष पुत्रगण स्व0 जुमर्दी, जाति तेली, निवासी समस्त इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)
3. जाकिर हुसैन आयु— साल पुत्र स्व जाफर अली, जाति तेली
4. शकुरन बानो आयु— साल पत्नि स्व0 जाफर अली, जाति तेली, निवासीगण समस्त इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. मंगेज सिंह पुत्र रामदेवा, जाति मीणा, निवासी मरोत, तहसील व जिला झुंझुनूं (मृतक)
1/1 श्रीमती बादामी पत्नि मृतक मंगेज सिंह
1/2 मदन आयु 50 साल पुत्र मृतक मंगेज सिंह
1/3 गोकुल आयु 45 साल पुत्र मृतक मंगेज सिंह
1/4 मनोज आयु 35 साल पुत्र मृतक मंगेज सिंह
समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम मरोत, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. इमामुदीन पुत्र स्व0 जुमर्दी जाति तेली, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. शेर मोहम्मद पुत्र स्व0 जुमर्दी जाति तेली, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. यासीन पुत्र स्व0 जाफर अली, जाति तेली, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील विरूद्ध आदेश व निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी मंगेज सिंह बनाम सुबराती आदि अ0धा0 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 29.04.2013

——

उपस्थितः—

1. श्री फैयाज अहमद, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री संदीप बिजारणिया, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1/2 की ओर से।
3. श्री राजेश पूनियां व संदीप बिजारणिया, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1/3 व 1/4 की ओर से।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.06.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीले तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 29.04.2013 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्टगण की ओर से अपील में निम्न प्रकार पेश है कि परिवादी मंगेज सिंह द्वारा अदालत मातहत मे प्रस्तुत परिवादी अ0धा0 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र मे दर्ज अनुसार ख0न0 610, 611, 612 वाके ग्राम इस्लामपुर की सरहद को पैतृक एवं स्वयं अर्जित दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

किया है किन्तु प्रार्थना पत्र मे यह कतई स्पष्ट नही किया है कि उक्त अनुसार कौनसी व कितनी भूमि स्वअर्जित है। स्वयं अर्जित किस प्रकार से है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मे उक्त सभी तथ्य वेग दर्ज है जिनके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करना अवैध व अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि व गैरसायलान ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। गैरसायलान ने उक्त भूमि पर पत्थर, चिकनी मिट्टी व पानी का हौज बना रखा है दर्ज किया है जो निराधार व गलत है। यह तमाम तथ्य भी प्रार्थना पत्र मे पूर्णतया वेग एवं अस्पष्ट दर्ज किये है क्योंकि गैरसायलान मे किसी गैरसायल ने किस समय यानि कब–कब क्या कार्य कर अतिक्रमण किया है ऐसा कुछ भी दर्ज नही किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करना कानूनन कतई अवैध व अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र मे ख0न0 609 गैर मुमकीन रास्ता है उस पर भी अतिक्रमण करके अपनी भूमि मे मिला लिया है बिल्कुल गलत दर्ज किया है। उक्त रास्ते को प्रार्थी के कब्जे, काश्त की भूमि के खसरा नम्बर 611 कुल रकबा 8.9 हैक्टर मे डाल दिया है लिखना भी पूर्णतया गलत है। ख0न0 611 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अनुसार ही रास्ता है एवं जिस पर ग्रेवल सडक निर्माण भी हुआ है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र मे दर्ज उक्त तथ्य स्वयं ही पूर्णतया झूठ व गलत दर्ज करना साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करना अवैध व अवैधानिक होना स्पष्ट हो जाता है। प्रार्थना पत्र मे परिवादी ने गैरसायलान को कई बार लिखित व मौखिक निवेदन किया कि अपनी काश्तकारी व रेवन्यू रिकार्डेड खातेदारी भूमि को अतिक्रमण हटाकर मुक्त कर दे लेकिन गैरसायलान परिवादी की उक्त भूमि को मुक्त करने की बजाय ज्यादा अतिक्रमण कर रहे है तथा उक्त परिवादी की कब्जे व काश्त की भूमि से हरे पेड काटने की फिराक मे है लिखना भी नितान्त व पूर्णरूप से झूठ एवं बनावटी बातें मनगढन्त दर्ज की है। परिवादी ने अपने उक्त कथन दर्ज करने मे कहीं भी कोई समय, दिनांक, महिना, वर्ष कुछ भी दर्ज नही किया है। लिखित का कोई सबूत परिवाद के साथ पेश नही किया है। किस गैरसायल को कब और किस जगह पर क्या कहा गया है कुछ भी दर्ज नही किया है। फिर परिवादी के कब्जे, काश्त की भूमि से हरे पेड काटने की बात लिखना कितना हास्यास्पद है कि एक तरफ परिवादी अपनी काश्त की भूमि पर गैरसायलान द्वारा अतिक्रमण करना दर्ज करता है दूसरी तरफ वह अपने कब्जे काश्त की भूमि मे से हरे पेड काटना दर्ज करता है। ऐसी स्थिति मे गैरसायलान का कब्जा व अतिक्रमण करना व उसे हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता। इसके अलावा हरे पेड काटने के संबंध मे भी अलग से प्रावधान है जिनके तहत कोई प्रार्थना पत्र या कार्यवाही क्यों नही की गई न्यायालय द्वारा विचारणीय बात है। ज्यादा अतिक्रमण कर रहे है दर्ज करना लेकिन ज्यादा अतिक्रमण कैसे कर रहे है कुछ नही लिखना तथ्यों की मनगढन्त कहानी का होने का स्पष्ट सबूत है। प्रार्थना पत्र मे गैरसायलान ने परिवादी को एलानियां धकमी दी कि उक्त विवादित भूमि हमारी है। इस बार हमारा ही कब्जा रखेंगें लिखना भी नितान्त झूठ एवं आधारहीन है इस धमकी के संबंध मे भी प्रार्थना पत्र मे गैरसायलान मे से किस–किसने किस जगह परिवादी को उक्त धमकी दी कुछ दर्ज नही किया है। अप्रार्थीगण मे शकूरन बानो अपीलान्ट नं0 4 औरत जात है जो पर्दानशीन घरेलू औरत है। बेवा है उसका घर से कहीं बाहर आने–जाने का ही बिना विशेष कारण संभव नही है जबकि परिवादी तो गांव मरोत का रहने वाला है। इस्लामपुर निवासी भी नही [illegible] गैरसायलान मे इमामुदीन तो खेतडी नौकरी करने वाला है। अन्य गैरसायलान भी अलग–अलग [illegible] व्यस्त रहने वाले है। उससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र बिल्कल वेग, आधारहीन व मनगढन्त तथ्य दर्ज [illegible] किया गया है जिसे स्वीकार करना कानूनन अवैध व अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र मे गैरसायलान [illegible] की कब्जे, काश्त की भूमि पर पुख्ता अवैध निर्माण कार्य करके अतिक्रमण कर लिया है दर्ज [illegible] भी पूर्णतया झूठ व मनगढन्त दर्ज किया है। क्योंकि परिवादी प्रार्थना पत्र मे कब्जा व काश्त अपना दर्ज करता है जबकि कार्यवाही गैरसायलान को अतिकमी बताकर बेदखली का कराना चाहता है तो दोनो तथ्य अपने आप मे विरोधाभाषी होने से भी प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अस्वीकार्य हो जाता है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज करना 183 बी की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित दर्ज करना भी गलत है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज अनुसार तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य होने के बावजूद स्वीकार किया जाना अवैध व अवैधानिक है। अदालत मातहत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नोटिसों की तामिल मानकर जो कार्यवाही व आदेश निर्णय जैरे अपील पारित किया है वह कानूनन पूर्णतया शून्य एवं अप्रभावी है क्योंकि प्रार्थीगण संख्या 1 सुबराती अप्रार्थी संख्या 5 शकूरन बानो की कोई तामिल व्यक्तिशः अदालत मातहत की कार्यवाही मिसल मे मौजूद नही है। बल्कि स्पष्ट रूप से उक्त तामिल अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की जाना रिकार्ड से पता चला है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की गई तामिल किसी भी रूप मे अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5 पर तामिल होना कानूनन मानना शून्य अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 5 पत्नि स्व0 जाफर अली को दो लडके यासीन व जाकिर हुसैन भी है जिन्हे भी पक्षकार नही बनाया गया है। अ0धा0 183 बी के तहत कार्यवाही मे मियाद का कानूनन अहम बिन्दू है जिस पर किसी भी तरह से कोई भी ध्यान अदालत मातहत ने नही दिया है। अदालत मातहत ने जैरे अपील निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली मे परिवादी, पटवारी हल्का या किसी अन्य गवाह का कोई भी बयान दर्ज नही कर उक्त कार्यवाही करने मे कानूनन बडी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी एकपक्षीय व गलत व काननून अप्रभावी है। उक्त रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई सूचना देकर न तो उनकी उपस्थिति मे बनाई गई है तथा ना ही सही पेश की है। अप्रार्थीगण की खातेदारी मे ख0न0 608 भूमि को ख0न0 610, 611 व 612 के सीमा लगती दर्ज किया है जो पूर्णतया गलत है। साथ मे प्रस्तुत नक्शा ट्रेस भी अधूरा प्रस्तुत किया है जिससे परिवाद मे दर्ज तथ्य व पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे दर्ज तथ्य कतई मेल नही खाते है। पटवारी हल्का ने परिवाद दर्ज अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के संबंध मे कुछ भी नही लिखा है ऐसी स्थिति मे उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 10.10.2012 पूर्णतया कानून शून्य, अप्रभावी व अमान्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से ही ख0न0 608 के खातेदारी मे यासीन व जाकिर हुसैन का नाम आया है जिनको पक्षकार नही बनाया जाना पूर्णतया साबित है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम ख0न0 610 की खातेदारी गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वज जुमर्दी खां की कब्जा, काश्त अधिकार की थी जिस पर विरासतन अपीलान्ट्स काश्त, काबिज खातेदार है। यदि राजस्व अधिकारी या कर्मचारी की गलती या भूल का गलत रिकार्ड बन गया है तो उससे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स को कोई अधिकार खातेदारी, काश्त, कब्जा प्राप्त नही होता है। उक्त सभी तथ्य अदलत मातहत मे पूर्ण अवसर मिलने पर प्रस्तुत किये जायेगें। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश व निर्णय जैरे अपील निरस्त फरमाया जावे। पूर्ण अवसर अपीलान्ट्स को जबाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद विधि सम्मत आदेश पारित करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन [illegible] द्वारा अदालत मातहत मे प्रस्तुत परिवादी अ0धा0 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] पत्र मे दर्ज अनुसार ख0न0 610, 611, 612 वाके ग्राम इस्लामपुर की सरहद [illegible] पैतृक एवं स्वयं [illegible] दर्ज किया है किन्तु प्रार्थना पत्र मे यह कतई स्पष्ट नही किया है कि उक्त [illegible] र्जित है। स्वयं अर्जित किस प्रकार से है। अप्रार्थीगण मे शकूरन बानो अपीलान्ट नं0 4 [illegible] जात है जो पर्दानशीन घरेलू औरत है। बेवा है उसका घर से कहीं बाहर आने-जाने का ही बिना विशेष कारण संभव नही है जबकि परिवादी तो गांव मरोत का रहने वाला है। इस्लामपुर निवासी भी नही है। इतने गैरसायलान मे इमामुदीन तो खेतडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

नौकरी करने वाला है। अन्य गैरसायलान भी अलग–अलग कार्यो मे व्यस्त रहने वाले है। प्रार्थना पत्र मे गैरसायलान उक्त परिवादी की कब्जे, काश्त की भूमि पर पुख्ता अवैध निर्माण कार्य करके अतिक्रमण कर लिया है दर्ज करना भी पूर्णतया झूठ व मनगढन्त दर्ज किया है। अदालत मातहत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नोटिसों की तामिल मानकर जो कार्यवाही व आदेश निर्णय जैरे अपील पारित किया है वह कानूनन पूर्णतया शून्य एवं अप्रभावी है क्योंकि प्रार्थीगण संख्या 1 सुबराती अप्रार्थी संख्या 5 शकूरन बानो की कोई तामिल व्यक्तिशः अदालत मातहत की कार्यवाही मिसल मे मौजूद नही है। बल्कि स्पष्ट रूप से उक्त तामिल अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की जाना रिकार्ड से पता चला है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की गई तामिल किसी भी रूप मे अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5 पर तामिल होना कानूनन मानना शून्य अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 5 पत्नि स्व0 जाफर अली को दो लडके यासीन व जाकिर हुसैन भी है जिन्हे भी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम ख0न0 610 की खातेदारी गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वज जुमर्दी खां की कब्जा, काश्त अधिकार की थी जिस पर विरासतन अपीलान्ट्स काश्त, काबिज खातेदार है। यदि राजस्व अधिकारी या कर्मचारी की गलती या भूल का गलत रिकार्ड बन गया है तो उससे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स को कोई अधिकार खातेदारी, काश्त, कब्जा प्राप्त नही होता है। अपीलान्ट्स को अदालत मातहत द्वारा न तो समुचित रूप से नोटिस तामिल करवाये गये एवं न ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुना गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश व निर्णय जैरे अपील निरस्त फरमाया जावे या विधिसिम्मत पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1/2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील 4–5 साल बाद पेश की गई है जो अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट्स सगे भाई जो एक ही परिवार मे रहते है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हे अदालत मातहत द्वारा समुचित रूप से तामिल नही करवाई गई एवं अदालत मातहत द्वारा उनको सुना नही गया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बाद जांच निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1/2, 1/3 व 1/4 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील 4–5 साल बाद पेश की गई है जो अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रा0प0 दफा 5 मे देरी के कारणों को स्पष्ट नही किया गया है। अपीलान्ट्स सगे भाई जो एक ही परिवार मे रहते है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हे अदालत मातहत द्वारा समुचित रूप से तामिल नही करवाई गई एवं अदालत मातहत द्वारा उनको सुना नही गया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बाद जांच निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 [illegible] अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा [illegible] अपीलान्ट्स द्वारा अनुसूचित जन जाति की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर बाद जांच [illegible]वत आदेश पारित किये गये है। अदालत मातहत का आदेश विधिसम्मत् है। स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट्स की अ[illegible] खारीज फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.04.2013 यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाद जांच समुचित निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुना जाकर समुचित रूप से उचित निर्णय पारित किया गया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 29.04.2013 यथावत रखा जाता है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:15 IST
Reason: SelfAttested